मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अप्रैल 2010—वैशाख 9, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2777-170-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक 3 सन् 2010

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2010.

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 29 अप्रैल 2010 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2010 है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 17, सन् 2007 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17, सन् 2007) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, कालम (1) से (6) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (1)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (2)	प्रायोजी निकाय का नाम (3)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (4)	मुख्य परिसर (5)	अधिकारिता (6)
"1.	जेपी युनिवर्सिटी, ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, राघोगढ़, जिला गुना (म.प्र.).	जयप्रकाश सेवा संस्थान ट्रस्ट, नई दिल्ली	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट)	जेपी युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी परिसर, राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.".

भोपाल :
तारीख 28 अप्रैल, 2010.

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्र. 2778-170-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 3 of 2010

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHYADESH, 2010.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th April, 2010.

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

An ordinance to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2010.

Madhya Pradesh Act No. 17 of 2007 to be temporarily amended. 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Schedule. 3. In the Schedule to the principal Act, in column (1) to (6), the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

Serial No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Jaypee University of Engineering and Technology, Raghogarh, District Guna (M.P.).	Jayprakash Seva Sansthan Trust, New Delhi	Registered Public Trust	Jaypee University of Engineering and Technology Campus Raghogarh, District Guna (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh.".

Bhopal :
Dated the 28th April, 2010

RAMESHWAR THAKUR
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.